दिनांक 01.07.2011 को सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित भू–अर्जन उप समिति की बैठक की कार्यवाही।

(क) – उपस्थिति :–

1. सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची।
2. विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची।
4. मुख्य अभियंता, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची।
5. उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची।

(ख)– कार्यवाही :– आज निम्नलिखित Solar power इकाइयों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई :–

1. **मे0 पी0सी0एस0 प्रीमियर इनर्जी, प्रा0 लि0**– कुल भूमि– 16.03 एकड़
2. **मे0 इनरटेक इंजीनियरिंग प्रा0 लि0**– कुल भूमि– 21.00 एकड़
3. **मे0 न्यू एरा इनभीरो भेन्चर प्रा0 लि0**– कुल भूमि– 14.70 एकड़
4. **मे0 प्रीमियर सोलर सिस्टम प्रा0 लि0**– कुल भूमि– 16.57 एकड़
5. **मे0 साईमेग इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0**– कुल भूमि– 17.25 एकड़
6. **मे0 ए0के0आर0 कन्स्ट्रक्शन लि0**– कुल भूमि– 16.00 एकड़
7. **मे0 के0भी0आर0 कंस्ट्रक्शन**– कुल भूमि– 13.70 एकड़

उपर्युक्त सातों (7) सोलर पावर प्लांट, जो भारत सरकार के **जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन** के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के देवघर जिले में भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार 8–10 एकड़/मेगावाट भू–खण्ड की आवश्यकता है। सामान्यतः 16 एकड़ भूमि 02 मेगावाट के लिए पर्याप्त होती है। इस कम में यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण **(CEA)** के गाईड लाईन के आधार पर प्रस्तावित भू–रकवा की स्वीकृति दी जाती है। यह सूचना दी गई कि एक उद्यमी ने सरायकेला–खरसांवा जिले में स्वतः रैयतों से भूमि कय कर रहे है। इन इकाइयों का Power Purchase Agreement झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हो चुका है।

भू–खण्ड की Topography and shadow zone को देखते हुए भू–खण्ड की आवश्यकता में परिवर्त्तन 20–25% तक परिवर्त्तित हो सकता है। इस कम में प्रस्तावित भू–खण्ड पर सहमति दी गई।

(ग)– **मे0 जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, गोड्डा** :– केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण **(CEA)** ने भूमि की आवश्यकता का विस्तृत ब्यौरा दिया है, उसी के मानक के अनुरूप इसकी समीक्षा की

गई। इसके अनुसार पावर प्लांट के लिए 426 एकड़, Ash Deck Green Belt के लिए लगभग 570 एकड़ तथा पावर प्लांट के साथ Green belt के लिए 140 एकड़ कुल 1136 एकड़ भूखण्ड की आवश्यकता होगी। इसके साथ–साथ town ship एवं अन्य सुविधाओं के लिए कंपनी अपनी आवश्यकतानुसार भूखण्ड ले सकती है। इस सम्बन्ध में यह भी बताया गया कि उन्हें water storage के लिए भी पानी की आवश्यकता होगी, जो सुन्दर डैम से उन्हें आवंटित है। श्री डी0 के0 सिंह, कार्यपालक अभियंता से दूरभाष पर पृच्छा के कम में बताया गया कि लगभग 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता इसके लिए हो सकती है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि सुन्दर डैम से पानी के बिन्दु पर जल संसाधन विभाग द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कुल भूखण्ड 1230.20 एकड़ 2x660 के लिए समूचित प्रतीत होता है। इस कम में विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली सक्षम समिति द्वारा 517 एकड़ भूखण्ड की स्वीकृति पूर्व में दी गई है, वह भी इसके अधीन मानी जाएगी। पूर्व स्वीकृति मिलाकर 1230.20 एकड़ भूखण्ड की अनुशंसा की जाती है।

(घ)– **मे0 सी0ई0एस0सी0 लिमिटेड, डांडो, दुमका** :– यह Non critical इकाई हैं, जिसमें 25 प्रतिशत भूखण्ड green belt के लिए आवश्यक होगी। प्रथम चरण के लिए उपायुक्त, दुमका द्वारा 321.26 एकड़ भूखण्ड की अनुशंसा की गई है। प्रथम चरण में यह consent award की प्रगति देख लिया जाय तभी शेष द्वितीय फेज के लिए भू–अर्जन किया जाय। पूर्व में इकाई को स्थल परिवर्तन करना पड़ा है। ऐसे में work की progress देख कर ही भू–अर्जन किया जाय। प्रस्तावित भू–खण्ड adequate है।

(ङ.)– **मे0 आधुनिक एल्वॉयज एण्ड पावर लिमिटेड, सरायकेला–खरसांवा** :– 2.6 MT इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना के लिए लगभग 1500 एकड़ भूखण्ड की आवश्यकता होगी, जबकि आवेदक ने मात्र 264.30 एकड़ भूखण्ड की आवश्यकता बताई है। यह इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा तथा इसके लिए लगभग 7000–8000 करोड़ रू0 की आर्थिक संसाधन की भी आवश्यकता होगी। इनके भू–खण्ड मांग में भी अंतर है इसलिए इन बिन्दुओं को स्पष्ट किया जाय तथा संतुष्ट हो लिया जाय। इसके बाद इनके मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा। यह यूनिट स्थापित है एवं झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 के तहत् लाभ प्राप्त कर चुका है एवं MOU का मात्र part implementation किया है।

(च)– **मे0 जयसवाल निको, जितपुर** :– इसमें मुख्यतः दो बिन्दुओं पर निर्णय लेना आवश्यक है। प्रथम बिन्दु यह है कि प्रथम चरण में वे कितने area में mining activity प्रारम्भ करेंगे तथा दूसरा यह कि इससे झारखण्ड राज्य से खान संसाधन दूसरे राज्यों में जायेगा। ऐसे बिन्दुओं पर खान एवं भूतत्व विभाग पहले संतुष्ट हों ले की इस तरह के मामलों में भू–अर्जन प्रारंभ करना है

या नहीं ? इससे राज्य को value addition नहीं होगा। मात्र mining/ displacement/ deforestation एवं environment hazard तथा कुछ रोजगार एवं royality प्राप्त होगा।

(छ)– **मे0 जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, जीतपुर, गोड्डा** :– इसमें जितपुर माईनिंग से किसी पावर प्लांट को फीड किया जाएगा। 1320 मेगावाट के लिए गोड्डा पावर प्लांट में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तथा आसनबनी में कार्य की प्रगति लगभग नगण्य है। इनसे यह जानकारी प्राप्त की जाय कि पावर प्रोजेक्ट हेतु कितने क्षेत्र से कोल एक्सट्रेक्शन की आवश्यकता प्रारम्भ में होगी।

(ज)– **मे0 गगन पावर लिमिटेड, दुमका** :– 1000 मेगावाट का पावर प्लांट दुमका में लगाने हेतु 874.23 एकड़ भूखण्ड की मांग की गई है, जो मानक के अधीन है। इसी के अंदर Power Plant, Ask Deck & Green belt एवं अन्य सुविधायें भी इन्हें विकसित करनी होगी, जिसमें लगभग 25 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट है। एम0ओ0यू0 के संबंध में इनकी स्थिति ऊर्जा विभाग द्वारा स्पष्ट किया जाय। यूनिट का seriousness भी देखा जाय।

(झ)– **मे0 डालमिया पावर लिमिटेड, देवघर** :– इकाई ने 975.14 एकड़ भूखण्ड की मांग की है, जिसमें डीम्ड वन भूमि 542.15 एकड़ है, जिसमें compensation for afforestation की आवश्यकता होगी। इन्हें भूखण्ड देने के पूर्व यह asses किया जाय कि compensatory afforestation हेतु भू–खण्ड उपलब्ध है तथा अन्य सुविधायें कोल ब्लॉक की उपलब्ध है या नहीं ? ऊर्जा विभाग इसकी समीक्षा कर स्थिति से अवगत करायेंगे।

(ञ)– **मे0 ब्राह्मी इम्पैक्स लि0, जामताड़ा** :– मेकॉन ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि उनका प्रतिवेदन स्थल निरीक्षण पर आधारित है। वर्तमान में योजना स्थल में परिवर्तन हो चुका है तथा प्रोजेक्ट में काफी कम संशाधन/क्षमता/वित्त संशाधन दर्शाया गया है। उद्योग निदेशालय के पत्रांक 1337 दिनांक 11.06.2011 के द्वारा मांगी गई सूचना के आलोक में इकाई ने अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है। इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन पर मेकॉन से पुनः मंतव्य प्राप्त कर ली जाय।

(ट)– **अन्यान्य** :–

1) सचिव उद्योग द्वारा इस बात पर जोर दिया गया की सोलर पावर प्लांट उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अपने उद्यमियों को तैयार करें एवं स्वतः इसका लाभ उठायें ताकि औद्योगिक इकाइयों को पावर मिल सके।

3) सोलर पावर प्लांट स्थापना से carbon credit भी प्राप्त होगा तथा प्लांट का life 25 वर्षो का है।

4) बैठक के अंत में यह सहमति व्यक्त की गई कि पुनः 15 दिनों के अंदर एक बैठक निर्धारित की जाय, जिसमें संबंधित विभाग जैसे– निदेशक, खान एवं जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

5) ऐसे विभागों को आवश्यकतानुसार बुलाया जाय, जिसका प्रस्ताव विचारणीय रहे।

6) कोल वेस्ड पावर प्लांट कुल भू–खण्ड का 25% green belt विकास में इस्तेमाल करेगा।

7) संबंधित कंडिकाओं को agreement में relevent para के रूप में जोड़ा जायेगा।

(i) Voluntary भू–अधिग्रहण/सीधे कय के मामले में भी राज्य की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति (R&R Policy) लागू रहेगी।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(रमेश चन्द्र प्रसाद) **मुख्य अभियंता** **ऊर्जा विभाग**	**(एस0 के0 सोरेंग)** **उप सचिव** **खान एवं भूतत्व विभाग**	**(डॉ0 मनीष रंजन)** **उद्योग निदेशक** **झारखण्ड, राँची**	**(ए0 के0 रस्तोगी** **विशेष सचिव** **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,**	**(ए0 पी0 सिंह)** **सरकार के सचिव** **उद्योग विभाग**

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग।

ज्ञापांक 1504 /राँची, दिनांक 06.07.2011
09/उ0नि0(राज्य स्तरीय भू–अर्जन समिति)–30/2011

प्रतिलिपिः विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची/बोकारो/आदित्यपुर/संथाल परगना, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 6/7/11
सरकार के उप सचिव,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1504 /राँची, दिनांक 06.07.2011
09/उ0नि0(राज्य स्तरीय भू–अर्जन समिति)–30/2011

प्रतिलिपिः सभी संबंधित इकाइयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 6/7/11
सरकार के उप सचिव,
झारखण्ड, राँची।